उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–6
संख्या– 672 /बीस–6/2020–01(08)2007 टी.सी.–3
देहरादूनः दिनांक– 11 अक्टूबर, 2020

कार्यालय–आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 के अन्तर्गत चयनोपरान्त 26 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति के आधार पर शासन के नियुक्ति आदेश दिनांक–08.03.2019 द्वारा 25 अभ्यर्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी, वेतनमान ₹9300–34800, ग्रेड वेतन ₹4600 (सातवें वेतन का पुनरीक्षित वेतन ₹44900–142400 लेवल–7) को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है।

2– उक्त चयन संस्तुति के श्रेष्ठता कमांक–7 के अभ्यर्थी श्री भानू प्रताप सिंह (अनुक्रमांक 205485) के विरूद्व श्री विनय कुमार, 118/ए, ईस्ट मोती बाग, गली नं0–6, सराय रोहिल्ला, दिल्ली के पत्र दिनांक–26.12.2018 एवं श्री संदीप कुमार पाण्डेय, ग्राम–अमरेमऊ (ज्लालपुर), पोस्ट नरायनपुर, जिला सुल्तानपुर (उ0प्र0) के पत्र दिनांक–04.01.2019, 11.02.2019 सीधे शासन को व लोक सेवा आयोग, हरिद्वार एवं अभियोजन निदेशालय, देहरादून के माध्यम से प्राप्त हुये। उक्त शिकायती पत्रों में अवगत कराया गया है कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 में चयनित अभ्यर्थी श्री भानू प्रताप सिंह का पूर्व में चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अन्तर्गत अपर सिविल जज, जू0डि0, बहराईच के पद पर हुआ था। नियुक्ति अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–769/दो–4–2014–15(9)/2014, दिनांक– सितम्बर, 2014 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 के नियम–24(4) के अन्तर्गत श्री भानू प्रताप सिंह सहित अन्य 10 प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की गयी है।

3– श्री भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री चरण सिंह द्वारा दिनांक–18.03.2019, 29.03.2019 एवं दिनांक–13.09.2019 को चयनित पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं।

4– उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम–11 में चरित्र के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान है :–

> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
>
> टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

5– नियुक्ति अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक– सितम्बर, 2014 द्वारा श्री भानू प्रताप सिंह की उ0प्र0 न्यायायिक सेवा नियमावली, 2001 के नियम–24(4) के अन्तर्गत अपर सिविल जज (जू0डि0), बहराईच के पद से उनकी सेवायें समाप्त किये जाने के दृष्टिगत् पर, उत्तराखण्ड

अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम–11 के प्राविधानानुसार सम्यक् विचारोपरान्त श्री भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट कैडी, जिला शामली (उत्तर प्रदेश), पिन–251305 का सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियम विरूद्व चयन होने पर, उन्हें चयनित पद पर नियुक्त किये जाने का योग्य नही पाया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत् सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत श्रेष्ठता क्रमांक–7 में चयनित अभ्यर्थी श्री भानू प्रताप सिंह (अनुक्रमांक 205485) का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।

नितेश कुमार झा
सचिव।

संख्या– 672 (1)/बीस–6/2020–01(08)2007 टी.सी.–3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. अपर प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या– 310/53/E-1/DR(A.P.O.)/2015–16, दिनांक–04.10.2018 के संदर्भ में।
4. निदेशक, अभियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. श्री भानू प्रताप सिंह को पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये पत्राचार पते के अनुसार।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।